

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री राजकुमार गोयल, व्याख्याता राजनीति विज्ञान राबाउमावि कपुरावाला, जयपुर का स्थानांतरण राउमावि हरनावडा, शाहजी, बारां किया गया। श्री राजकुमार गोयल ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 4517/2019 श्री राजकुमार गोयल बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4517/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री राजकुमार गोयल को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री राजकुमार गोयल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के हृदय की बाईपास सर्जरी होने एवं अनिता मीणा (विधवा श्रेणी) की पारस्परिक स्थानांतरण की सहमति के आधार पर अपना पदस्थापन राबाउमावि कपुरावाला, जयपुर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंगा से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त हैं।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण व मनन किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल स्वास्थ्य परिस्थितियों एवं पारस्परिक सहमति के आधार पर इनका समायोजन राबाउमावि कपुरावाला, सांगानेर, जयपुर एवं श्रीमती अनिता मीणा का समायोजन राजकीय परशुराम उमावि सलेमपुर खूर्द, भरतपुर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलंब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 29 / 11 / 2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि)।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि.।
8. गार्ड पंजिका।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री सांवरमल जाट, व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि कोट, भीलवाडा का स्थानांतरण राउमावि लेसवा, भीलवाडा किया गया। सांवरमल जाट ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3307/2019 श्री सांवरमल जाट बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।


अपील संख्या 3307/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री सांवरमल जाट को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री सांवरमल जाट द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का पदस्थापन 1. राउमावि पालरा, रायपुर, भीलवाडा, 2. रा. महाराजा उमावि रायपुर, भीलवाडा, 3. राउमावि नाथडियास, रायपुर, भीलवाडा की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

यह विधि सुस्थापित सिद्धांत है कि लोक सेवकों द्वारा अपना पदस्थापन इच्छित स्थान पर किये जाने की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। चूंकि श्री सांवरमल जाट का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल स्थानान्तरित स्थान राउमावि लेसवा, भीलवाडा में व्याख्याता राज.विज्ञान के पद पर दिनांक 03/12/2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

दिनांक:- 29/11/2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि).....।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि.....।
8. गार्ड फंजिका।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री नोरत कुमार जैन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि टोकरावास, उनियारा, टोंक का स्थानांतरण राउमावि डाटोब, टोडारायसिंह, टोंक किया गया। श्री नोरत कुमार जैन ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3417/2019 श्री नोरत कुमार जैन बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।


अपील संख्या 3417/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री नोरत कुमार जैन को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री नोरत कुमार जैन द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का पदस्थापन 1. राउमावि बांसी, बून्दी, 2. राउमावि काछोला, बून्दी की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

यह विधि सुस्थापित सिद्धांत है कि लोक सेवकों द्वारा अपना पदस्थापन इच्छित स्थान पर किये जाने की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरित स्थान पर दिनांक 21.10.2019 को कार्यग्रहण किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

दिनांक:- 29/11/2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि)।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि.।
8. गार्ड पंजिका।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर